छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 351 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02486**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''संकल्प सिटी'', प्रमोटर–श्री गणेश वर्मा, पता–आनंद वाटिका, समृद्धि विहार, समाधान कॉलेज, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''संकल्प सिटी'' पता–ग्राम–फरी, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
04/11/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, छ..ग द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''संकल्प सिटी'' पंजीयन क्रमांक– **PCGRERA 270619001001** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 27.06.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 01.07.2024 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 26.07.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रोजेक्ट पंजीयन की वैधता दिनाँक 01.04.2024 को समाप्त हो गयी है। अनावेदक का जवाब है कि प्रोजेक्ट का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण बसने के लिये लोगों का रूझान नहीं बन पा रहा है। पिछले पांच वर्षों में केवल नौ लोग ही प्लॉट खरीदे और वह भी निवासी होने के बजाय निवेशक की तरह है। अनावेदक द्वारा सभी निवेशकों को पूर्ण संतुष्टि के साथ उनकी निवेश की गई राशि लौटाकर सभी निवेशकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर छह माह की अवधि में छ.ग. रेरा के समक्ष प्रस्तुत	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 351 | प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02486**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''संकल्प सिटी'', प्रमोटर–श्री गणेश वर्मा, पता–आनंद वाटिका, समृद्धि विहार, समाधान कॉलेज, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''संकल्प सिटी'' पता–ग्राम–फरी, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	कर सकता है। अनावेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रोजेक्ट को बंद करने हेतु प्रकाशित किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति हो, तो 15 दिवस के भीतर छ.ग. रेरा के ई–मेल office.rera.cg@gov.in तथा रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा के समक्ष संपर्क कर सकते हैं। उसके पश्चात् दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। अनावेदक द्वारा किसी भी प्रकार की भूल के लिये प्राधिकरण से क्षमा याचना की गई है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण में रजिस्ट्रार विधिवत् revocation of registration के लिये कार्यवाही करे। तदुपरांत नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	